

(असाधारण भाग I—खंड-1)

अधिसूचना

सरकारी स्टॉक (जीएस) की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(5)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020:भारत सरकार एतद्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी स्टॉक की बिक्री (निर्गम/पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है:

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की अधिसूचित राशि विधि	(करोड़ में)
5.09% सरकारी स्टॉक 2022	13 अप्रैल, 2020	02-00-00	13 अप्रैल, 2022	मूल्य	विविध	3,000
5.77% सरकारी स्टॉक 2030	03 अगस्त, 2020	10-00-00	03 अगस्त, 2030	मूल्य	विविध	18,000
भारत सरकार का अस्थायी दर वाला बांड 2033	22 जून, 2020	13-03-00	22 सित., 2033	मूल्य	विविध	4,000
नया सरकारी स्टॉक 2060	31 अगस्त, 2020	40-03-14	15 दिस., 2060	लाभ	विविध	5,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के परिपेक्ष्य में 2,000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी स्टॉक, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई -400001 के माध्यम से बेचा जाएगा।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 28 अगस्त, 2020 को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 28 अगस्त, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. यह स्टॉक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुंबई कार्यालय में 28 अगस्त, 2020 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 31 अगस्त, 2020 अर्थात् निर्गम/पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक, प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा। जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और स्टॉक का पुनर्भुगतान

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। स्टॉक का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
5.09% सरकारी स्टॉक 2022	5.09	नया स्टॉक	30 अगस्त, 2020	13 अक्टू. और 13 अप्रैल
5.77% सरकारी स्टॉक 2030	5.77	नया स्टॉक	30 अगस्त, 2020	03 फरवरी और 03 अगस्त
भारत सरकार का अस्थायी दर वाला बांड 2033	परिवर्तनीय##	नया स्टॉक	30 अगस्त, 2020	22 सित. और 22 मार्च
नया सरकारी स्टॉक 2060	लाभ आधारित###	नया स्टॉक	नया स्टॉक	15 दिस., और 15 जून

भारत सरकार का अस्थायी दर वाला बांड 2033

(i) परिवर्तनीय दर पर ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा।

(ii) अस्थायी दर वाले बांड की कूपन दर जो मूल दर होगी तथा यह 182 दिवसीय राजकोषीय हंडियों की पिछली 3 नीलामियों (दर निर्धारित करने के दिन से) की भारत औसत आय (डब्ल्यू ए वाई) की औसत तथा नीलामी तंत्र द्वारा 122 आधार बिन्दुओं के नियत प्रसार के समतुल्य होगी। यह प्रसार बांड की पूरी अवधि में नियत रहेगा। अंतर्निहित आय की गणना वर्ष में 365 दिन को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(iii) बांड की समयावधि के दौरान भारत सरकार की 182 दिवसीय राजकोषीय हंडियों की नीलामियों को बंद कर दिए जाने की स्थिति में, कूपन की मूल दर, अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पहले के तीन नॉन-रिपोर्टिंग शुक्रवारों को, छह माह तक भारत सरकार प्रतिभूति(यों) के लिए प्रचलित परिपक्वता दर आय (वाई टी एम) की औसत होगी। यदि किसी शुक्रवार को कोई विशेष छुट्टी/छुट्टियां हो, तो परिपक्वता पर आय की दरें वही होंगी जो पिछले कार्य दिवस को थी।

(iv) कूपन अवधि 22 जून, 2020 से 21 सितंबर, 2020 के लिए आधार दर 3.43 प्रतिशत प्रति वर्ष है। तदनुसार, इस अवधि के लिए अस्थायी दर वाले बांड 2033 पर ब्याज दर 4.65 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। अनुवर्ती वर्षों के दौरान बांडों पर अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज दर, संबंधित अर्धवार्षिक कूपन अवधि की शुरुआत से पूर्व, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाएगी।

##:प्रतिभूति के लिए कूपन दर का निर्णय नीलामी में निर्धारित परिपक्वता दर की कटआफ लाभ पर किया जाएगा। ब्याज का भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से
(रजत कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार